CGHIDB
CHHATTISGARH HOUSING AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT BOARD

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल

(मुख्यालय, पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर – 492002)
Tele : 0771-2512121, Fax : 2512122, website : www.cghb.gov.in, email : cghbho@gmail.com

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के संचालक मण्डल की दिनांक 22.09.2026 को आयोजित 87वॉ बैठक का कार्यवाही विवरण

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के संचालक मण्डल की 87वॉ बैठक दिनांक 22.09.2026 को दोपहर 3:30 बजे आयोजित की गई, जिसमें निम्नानुसार उपस्थित रहे :–

1	माननीय श्री अनुराग सिंह देव, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, जिला–रायपुर	अध्यक्ष
2	श्री डी.एस. भारद्वाज विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, महानदी भवन मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर रायपुर	सदस्य
3	श्री संदीप बांगड़े, प्रतिनिधि आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग नवा रायपुर अटल नगर जिला–रायपुर	सदस्य
4	श्री ऋषभ के. परासर, प्रतिनिधि सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, महानदी भवन मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर रायपुर	सदस्य
5	श्री जी.आर.रावटे, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, नवा रायपुर अटल नगर	सदस्य
6	श्री हितेश बोराड, क्षेत्रीय प्रमुख, हुडको, रायपुर	सदस्य
7	श्री अवनीश कुमार शरण, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर	सदस्य सचिव

मण्डल सम्मिलन में गणपूर्ति पश्चात् बैठक प्रारंभ की गई तथा उपस्थित सदस्यों द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिए गए :–

एजेण्डा–01 संकल्प कं. 2217/01/87/09/2026.

विषयः– संचालक मण्डल की 86वॉ बैठक दिनांक 20.05.2026 के कार्यवाही–विवरण की पुष्टि।

संचालक मण्डल, दिनांक 20.05.2026 को आयोजित 86वॉ बैठक के कार्यवाही विवरण से अवगत हुआ तथा उसकी पुष्टि की गई ।

एजेण्डा–02 संकल्प कं. 2218/02/87/09/2026.

विषयः–संचालक मण्डल की 86वॉ बैठक दिनांक 20.05.2026 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन।

संचालक मण्डल, दिनांक 20.05.2026 को आयोजित 86वॉ बैठक के कार्यवाही विवरण पर प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन की कार्यवाही से अवगत हुआ।

एजेण्डा–03 संकल्प कं. 2219/03/87/09/2026.

विषयः–मण्डल की उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा स्वीकृत/अस्वीकृत निविदा मण्डल सम्मिलन में सूचनार्थ रखे जाने बाबत्।

संचालक मण्डल की उच्चाधिकार प्राप्त उप समिति द्वारा स्वीकृत की गई निम्नलिखित निविदा से अवगत हुआ :–

क्र	निविदा का विवरण	उच्चाधिकार प्राप्त उप समिति की बैठक दिनांक एवं निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदित प्रशासकीय व्यय	
			मण्डल सम्मिलन दिनांक, संकल्प क्रमांक	राशि
1	2	3	4	5
1	**कार्य का नाम** :– रायगढ़ में केलो नदी के संरक्षण एवं पुनरूद्धार हेतु शनि मंदिर से खर्राघाट तक संबंद्ध सुविधाओं के निर्माण सहित ऑक्सीजोन तथा विभिन्न विकास कार्य। प्रपत्र :– ब स्वीकृत निविदा दर/राशि :– रू .26,38,85,326.19 ठेकेदार का नामः– मेसर्स दीपक पाण्डेय, (CGeR26138), अ' वर्ग ठेकेदार, कंकाली पारा, रायपुर समय सीमाः– 24 माह (वर्षा ऋतु सहित)	20.05.2026 स्वीकृत	कलेक्टर, जिला–रायगढ़ का पत्र क्र. 226/सी.एस. आर./2025 दिनांक 28.10. 2025	रू. 2999.00 लाख
2	**कार्य का नाम** :– ग्राम कोहका तिल्दा रायपुर में अटल विहार योजनांतर्गत 07 नग सीनि. एम.आई.जी., 13 नग एम.आई.जी., 05 नग एम.आई.जी.–I, 11 नग एम.आई. जी.–II, 127 नग एल.आई.जी., 10 नग एल.आई.जी. –I, 86 नग ई.डब्ल्यू.एस. कुल 259 नग स्वतंत्र भवनों के निर्माण एवं 20.00 एकड़ भूमि का विकास कार्य के निविदा स्वीकृति बाबत्। **प्रपत्र** :– अ प्रस्तुत निविदा दर/राशि :– रू.39,14,39,235.00 as per 14.95% Above PWD SOR ठेकेदार का नामः– मेसर्स अशोक केजरीवाल (CGeR00526), अ वर्ग ठेकेदार, सारंगढ़ (छ.ग.) समय सीमाः– 24 माह (वर्षा ऋतु सहित)	20.05.2026 समझौतावार्ता	85वां मण्डल सम्मिलन दि. 12.12.2025 के एजेण्डा क्र. 04 संकल्प क्र. 2152/04/ 85/12/ 2025	रू.7086.74 लाख
3	**कार्य का नाम** :– अटल विहार योजनांतर्गत बोदरी फेस–II बिलासपुर में 14 नग एच.आई.जी., 24 नग जूनि. एम.आई.जी., 76 नग एल.आई.जी. एवं 67 नग ई. डब्ल्यू.एस. (कुल 181 नग) भवनों के निर्माण एवं बाह्य विकास कार्य की निविदा स्वीकृति के संबंध में। **प्रपत्र** :– अ स्वीकृत निविदा दर/राशि :– रू. 26,87,80,732.00 as per 9.90% Above PWD SOR ठेकेदार का नामः– मेसर्स संतोष कुमार अग्रवाल एण्ड कंपनी (CGeR01789), अ वर्ग ठेकेदार, खरसिया, रायगढ़ (छ.ग.) समय सीमाः– 24 माह (वर्षा ऋतु सहित)	20.05.2026 स्वीकृत	71वां मण्डल सम्मिलन दि. 17.08.2022 के एजेण्डा क्र. 04 संकल्प क्र. 1948 /04/ 71/08/2022 (पुनरीक्षित)	रू.9174.48लाख (पुनरीक्षित)

4	**कार्य का नाम** :– सामान्य आवास योजनांतर्गत देवरीखुर्द फेस–।।।, बिलासपुर में 04 नग एच.आई.जी., 14 नग एम.आई.जी., 25 नग एल.आई.जी. एवं 41 नग ई.डब्ल्यू. एस. (कुल 84 नग) स्वतंत्र भवनों के निर्माण एवं बाह्य विकास कार्य की निविदा स्वीकृति के संबंध में। **प्रपत्र** :– अ प्रस्तुत निविदा दर/राशि :–रू.10,86,17,253.20 as per 14.27% Above PWD SOR ठेकेदार का नामः– मेसर्स आदर्श अग्रवाल (CGeR11517), अ वर्ग ठेकेदार, बिलासपुर (छ.ग.) समय सीमाः– 18 माह (वर्षा ऋतु सहित)	20.05.2026 समझौतावार्ता	81वां मण्डल सम्मिलन दि. 11.03.2025 के एजेण्डा क्र. 04 संकल्प क्र. 2090/04/ 81/03/ 2025	रू.1306.33लाख
5	**कार्य का नाम** :– स्ववित्तीय सामान्य आवास योजनांतर्गत नवा रायपुर अटल नगर सेक्टर–12, फेस–।। अंतर्गत विभिन्न प्रकार के 348 नग स्वतंत्र भवनों का निर्माण, ट्रांजिट हॉस्टल (जी+2), 28.04 हेक्ट. (69.30 एकड़) भूमि पर बॉऊण्ड्रीवॉल निर्माण एवं 11.82 हेक्ट. (29.30 एकड़) भूमि का विकास कार्य की निविदा के संबंध में। **प्रपत्र** :– अ प्रस्तुत निविदा दर/राशि :–रू.126,39,56,575.00 as per 24.93% Above PWD SOR ठेकेदार का नामः– मेसर्स विनोद कुमार जैन, (CGeR02258), अ वर्ग ठेकेदार, जशपुर समय सीमाः– 24 माह (वर्षा ऋतु सहित)	20.05.2026 समझौतावार्ता	78वां मण्डल सम्मिलन दि. 24.12.2024 के एजेण्डा क्र. 03 संकल्प क्र. 2073/03/ 78/12/2024	रू.31054.56लाख
6	**कार्य का नाम** :– ग्राम कोहका तिल्दा रायपुर में अटल विहार योजनांतर्गत 07 नग सीनि. एम.आई.जी., 13 नग एम.आई.जी., 05 नग एम.आई.जी.–।, 11 नग एम.आई.जी.–।।, 127 नग एल.आई.जी., 10 नग एल.आई.जी.–।, 86 नग ई.डब्ल्यू.एस. कुल 259 नग स्वतंत्र भवनों के निर्माण एवं 20.00 एकड़ भूमि का विकास कार्य के निविदा स्वीकृति बाबत्। **प्रपत्र** :– अ **प्रस्तुत निविदा दर/राशि :–रू.38,64,67,497.00** as per 13.49% Above PWD SOR (समझौतावार्ता पश्चात) **ठेकेदार का नामः**– मेसर्स अशोक केजरीवाल (CGeR00526),अ वर्ग ठेकेदार, सारंगढ़ (छ.ग.) **समय सीमाः**– 24 माह (वर्षा ऋतु सहित)	08.06.2026 समझौतावार्ता पश्चात् अस्वीकृत	85वां मण्डल सम्मिलन दि. 12.12.2025 के एजेण्डा क्र. 04 संकल्प क्र. 2152/04/ 85/12/ 2025	रू.7086.74 लाख
7	**कार्य का नाम** :– सामान्य आवास योजनांतर्गत देवरीखुर्द फेस–।।।, बिलासपुर में 04 नग एच.आई.जी., 14 नग एम.आई.जी., 25 नग एल.आई.जी. एवं 41 नग ई.डब्ल्यू. एस. (कुल 84 नग) स्वतंत्र भवनों के निर्माण एवं बाह्य विकास कार्य की निविदा स्वीकृति के संबंध में। **प्रपत्र** :– अ **प्रस्तुत निविदा दर/राशि** :–रू.10,83,41,409.40 as per 13.98% Above PWD SOR (समझौतावार्ता पश्चात) **ठेकेदार का नामः**– मेसर्स आदर्श अग्रवाल (CGeR11517), अ वर्ग ठेकेदार, बिलासपुर (छ.ग.) **समय सीमाः**– 18 माह (वर्षा ऋतु सहित)	08.06.2026 समझौतावार्ता पश्चात् अस्वीकृत	81वां मण्डल सम्मिलन दि. 11.03.2025 के एजेण्डा क्र. 04 संकल्प क्र. 2090/04/ 81/03/ 2025	रू. 1306.33 लाख

8	**कार्य का नाम :–** स्ववित्तीय सामान्य आवास योजनांतर्गत नवा रायपुर अटल नगर सेक्टर–12, फेस–।। अंतर्गत विभिन्न प्रकार के 348 नग स्वतंत्र भवनों का निर्माण, ट्रांजिट हॉस्टल (जी+2), 28.04 हेक्ट. (69.30 एकड़) भूमि पर बॉऊण्ड्रीवॉल निर्माण एवं 11.82 हेक्ट. (29.30 एकड) भूमि का विकास कार्य की निविदा के संबंध में। **प्रपत्र :–** अ **प्रस्तुत निविदा दर/राशि :-** रू.126,01,12,206.00 as per 24.55% Above PWD SOR (समझौतावार्ता पश्चात) **ठेकेदार का नामः–** मेसर्स विनोद कुमार जैन, (CGeR02258), अ वर्ग ठेकेदार, जशपुर **समय सीमाः–** 24 माह (वर्षा ऋतु सहित)	08.06.2026 समझौतावार्ता पश्चात् अस्वीकृत	78वां मण्डल सम्मिलन दि. 24.12.2024 के एजेण्डा क्र. 03 संकल्प क्र. 2073/03/ 78/12/ 2024	रू.31054.56 लाख
9	**कार्य का नाम :–** सामान्य आवास योजनांतर्गत देवरीखुर्द फेस–।।।, बिलासपुर में 04 नग एच.आई.जी., 14 नग एम.आई.जी., 25 नग एल.आई.जी. एवं 41 नग ई.डब्ल्यू. एस. (कुल 84 नग) स्वतंत्र भवनों के निर्माण एवं बाह्य विकास कार्य की निविदा स्वीकृति के संबंध में। **प्रपत्र :–** अ **स्वीकृत निविदा दर/राशि :–**10,74,00,384.70 as per 12.99% Above PWD SOR **ठेकेदार का नामः–** मेसर्स स्टॉर एक्सप्रेस कन्सलटेंट प्रा. लि. (CGeR11517), अ वर्ग ठेकेदार, रांची (झारखण्ड) **समय सीमाः–** 18 माह (वर्षा ऋतु सहित)	23.07.2026 स्वीकृत	81वां मण्डल सम्मिलन दि. 11.03.2025 के एजेण्डा क्र. 04 संकल्प क्र. 2090/04/ 81/03/ 2025	रू.1306.33लाख
10	**कार्य का नाम :–** ग्राम कोहका तिल्दा रायपुर में अटल विहार योजनांतर्गत 07 नग सीनि. एम.आई.जी., 13 नग एम.आई.जी., 05 नग एम.आई.जी.– I, 11 नग एम.आई.जी. – ।।, 127 नग एल.आई.जी., 10 नग एल.आई.जी.– I, 86 नग ई.डब्ल्यू.एस. कुल 259 नग स्वतंत्र भवनों के निर्माण एवं 20.00 एकड़ भूमि का विकास कार्य के निविदा स्वीकृति बाबत्। **प्रपत्र :–** अ **स्वीकृत निविदा दर/राशि :–** रू. 38,46,96,741.00 as per 12.97% Above PWD SOR **ठेकेदार का नामः–** शंकर लाल गुप्ता (CGeR01680), अ वर्ग ठेकेदार, जगदलपुर (छ.ग.) **समय सीमाः–** 24 माह (वर्षा ऋतु सहित)	23.07.2026 स्वीकृत	85वां मण्डल सम्मिलन दि. 12.12.2025 के एजेण्डा क्र. 04 संकल्प क्र. 2152/04/ 85/12/ 2025	रू.7086.74 लाख
11	**कार्य का नाम :–** अटल विहार योजनांतर्गत भुरकोनी में प्रस्तावित 10 एम.आई.जी., 104 एल.आई.जी., 34 ई. डब्ल्यू.एस. कुल 148 स्वतंत्र भवनों (ग्रुप–।।।) का निर्माण कार्य की निविदा। **प्रपत्र :–** अ **स्वीकृत निविदा दर/राशि :–** :- रू.19,43,03,105.40 as per 12.94% Above PWD SOR **ठेकेदार का नामः–** मेसर्स आकृति कंस्ट्रक्शन (CGeR07760), अ वर्ग ठेकेदार, रायपुर **समय सीमाः–** 18 माह (वर्षा ऋतु सहित)	30.07.2026 स्वीकृत	75वां मण्डल सम्मिलन दि. 27.09.2024 के एजेण्डा क्र. 07 संकल्प क्र. 2032/07/ 75/09/ 2024	रू 6103.59 लाख

12	**कार्य का नाम :–** स्ववित्तीय सामान्य आवास योजनांतर्गत नवा रायपुर अटल नगर सेक्टर–12, फेस–।। अंतर्गत विभिन्न प्रकार के 348 नग स्वतंत्र भवनों का निर्माण, ट्रांजिट हॉस्टल (जी+2), 28.04 हेक्ट. (69.30 एकड) भूमि पर बॉऊण्ड्रीवॉल निर्माण एवं 11.82 हेक्ट. (29.30 एकड) भूमि का विकास कार्य की निविदा के संबंध में। **प्रपत्र :–** अ **प्रस्तुत निविदा दर/राशि :– रू.1209019537.80 as per 19.50% Above PWD SOR** **ठेकेदार का नामः–** मेसर्स शिवाज्योति कॉनप्रो. प्रा.लि., अ वर्ग ठेकेदार, भुवनेश्वर (ओडिसा) **समय सीमाः–** 24 माह (वर्षा ऋतु सहित)	30.07.2026 समझौतावार्ता	78वां मण्डल सम्मिलन दि. 24.12.2024 के एजेण्डा क्र. 03 संकल्प क्र. 2073/03/78/12/2024	रू.31054.56 लाख
13	**कार्य का नाम :–** स्ववित्तीय सामान्य आवास योजनांतर्गत नवा रायपुर अटल नगर सेक्टर–12, फेस–।। अंतर्गत विभिन्न प्रकार के 348 नग स्वतंत्र भवनों का निर्माण, ट्रांजिट हॉस्टल (जी+2), 28.04 हेक्ट. (69.30 एकड़) भूमि पर बॉऊण्ड्रीवॉल निर्माण एवं 11.82 हेक्ट. (29.30 एकड़) भूमि का विकास कार्य की निविदा के संबंध में। **प्रपत्र :–** अ **स्वीकृत निविदा दर/राशि :– रू. 119,89,02,420.00 as per 18.50% Above PWD SOR** (समझौतावार्ता पश्चात) **ठेकेदार का नामः–** मेसर्स शिवाज्योति कॉनप्रो. प्रा. लि., अ वर्ग ठेकेदार, भुवनेश्वर (ओड़िसा) **समय सीमाः–** 24 माह (वर्षा ऋतु सहित)	31.07.2026 समझौतावार्ता पश्चात स्वीकृत	78वां मण्डल सम्मिलन दि. 24.12.2024 के एजेण्डा क्र. 03 संकल्प क्र. 2073/03/ 78/12/2024	रू. 31054.56 लाख

एजेण्डा–04 संकल्प कं. 2220 / 04 / 87 / 09 / 2026.

विषयः– 86वाँ मण्डल सम्मिलन के पश्चात् आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्यो की प्रदत्त प्रशासकीय स्वीकृति को संचालक मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने बाबत्।

संचालक मण्डल 86वॉ मण्डल सम्मिलन के पश्चात् आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा प्रदत्त प्रशासकीय स्वीकृति से संचालक मण्डल अवगत हुआ।

क	कार्य का नाम	प्रशा. स्वी. राशि	पत्र क्र. / दिनांक
1	2	3	4
1	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, कार्यालय भवन, बोधघाट, जगदलपुर का मरम्मत, रंगाई–पोटाई एवं विद्युतीकरण कार्य की स्वीकृति के संबंध में।	7.00	655 / 02.03.2026
2	संभाग / प्रक्षेत्र दंतेवाड़ा, कार्यालय मरम्मत / रेनोवेशन कार्य कराने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।	5.70	1221 / 01.05.2026
3	सामान्य आवास योजना बांधामुड़ा (पेण्ड्रा रोड़), गौरेला, जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही में 05 एच.आई.जी. एवं 11 एल.आई.जी. भवनों के निर्माण एवं बाह्य विकास कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	291.25	1289 / 08.06.2026
4	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल संभाग दुर्ग अंतर्गत पद्मनाभपुर में संचालित अपर आयुक्त प्रक्षेत्र कार्यालय, उपायुक्त वृत्त कार्यालय, संपदा अधिकारी प्रक्षेत्र कार्यालय, कार्यपालन अभियंता संभाग कार्यालय एवं विद्युत संभाग कार्यालयों का रंगाई–पोटाई कार्य हेतु प्राक्कलन अनुमोदन के संबंध में	14.55	1601 / 27.07.2026
5	संभागीय कार्यालय जशपुर के उन्नयन कार्य हेतु विस्तृत प्राक्कलन सह प्रस्ताव स्वीकृति के संबंध में।	5.55	1649 / 30.07.2026
6	जिला बिलासपुर के विभिन्न कार्यालयों के मरम्मत / रिनोवेशन कार्य का प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।	32.54	1654 / 31.07.2026
7	दीनदयाल आवास कॉलोनी सेजबहार फेस–01 रायपुर में बाउण्ड्रीवॉल के निर्माण कार्य का प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।	36.5	1661 / 31.07.2026
8	संभाग रायगढ़ अंतर्गत मण्डल के कार्यालयों के मरम्मत / रिनोवेशन कार्य का प्राक्कलन प्रस्तुत करने बाबत्।	24.22	1766 / 18.08.2026
9	संभाग राजनांदगांव अंतर्गत दीनदयाल आवास योजना कॉलोनी कौरीनभाठा के प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में।	40.10	1881 / 01.09.2026
	कुल	**457.66**	

एजेण्डा–05 संकल्प कं. 2221/05/87/09/2026.

विषयः– स्ववित्तीय अटल विहार योजनांतर्गत मदनपुर, इंजको तहसील–पत्थलगॉव जिला जशपुर में 06 नग एम.आई.जी., 40 नग एल.आई.जी. एवं 43 नग ई.डब्ल्यू.एस. भवनों का निर्माण तथा 5.00 एकड़ भूमि का विकास कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में।

संचालक मंडल द्वारा दीर्घ विचारोपरांत स्ववित्तीय अटल विहार योजनांतर्गत मदनपुर, इंजको तहसील–पत्थलगॉव जिला जशपुर में 06 नग एम.आई.जी., 40 नग एल.आई.जी. एवं 43 नग ई.डब्ल्यू. एस. भवनों का निर्माण तथा 5.00 एकड भूमि का विकास कार्य की राशि **रू. 2017.10 लाख** (रूपये दो हजार सत्रह लाख दस हजार) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति का कार्योत्तर अनुमोदन किया जाता है तथा आगामी सभी प्रकार की कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

एजेण्डा–06 संकल्प कं. 2222/06/87/09/2026.

विषयः– लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी किये गए भवन कार्य हेतु PWD SOR 10.06.2026 सड़क कार्य हेतु PWD SOR 15.06.2026 एवं विद्युत यांत्रिकी कार्य हेतु PWD SOR 10.06.2026 को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल में लागू किये जाने बाबत्।

संचालक मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से भवन कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी किये गए PWD SOR 10.06.2026, सड़क कार्य हेतु PWD SOR 15.06.2026 एवं विद्युत यांत्रिकी कार्य हेतु PWD SOR 10.06.2026 को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल में औपचारिक रूप से लागू किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन करता है तथा आगामी सभी प्रकार की अनुषांगिक कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

एजेण्डा–07 संकल्प कं. 2223/07/87/09/2026.

विषयः– क्वींस क्लब ऑफ इंडिया के विकास, संचालन एवं रख–रखाव हेतु लायसेंस आधार पर पी.पी.पी. मोड के तहत् एजेंसी नियुक्त करने के संबंध में।

संचालक मण्डल द्वारा दीर्घ विचारोपंरात सर्वसम्मति से छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा विशेष आवासीय योजना पुरैना, रायपुर में निर्मित क्वींस क्लब ऑफ इंडिया के विकास, संचालन एवं रख–रखाव हेतु पी.पी.पी. मोड के आधार पर एजेंसी नियुक्त करने हेतु प्रस्तुत निविदा प्रपत्र एवं लायसेंस अनुबंध प्रारूप का अनुमोदन किया गया तथा आगामी सभी प्रकार के टेक्नो–कॉमर्शियल नियम व शर्तों के निर्धारण तथा अन्य अनुषांगिक कार्यवाही हेतु आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

एजेण्डा—08 संकल्प कं. 2224/08/87/09/2026.

विषयः— स्ववित्तीय अटल विहार योजनांतर्गत ग्राम बालाछापर जिला जशपुर में 11 नग एच.आई.जी., 20 नग एम.आई.जी., 04 नग जूनि. एम.आई.जी., 55 नग एल.आई.जी. एवं 38 नग ई.डब्ल्यू. एस. भवनों का निर्माण तथा 7.00 एकड़ भूमि का विकास कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में।

संचालक मण्डल द्वारा स्ववित्तीय अटल विहार योजनांतर्गत ग्राम बालाछापर जिला जशपुर में 11 नग एच.आई.जी., 20 नग एम.आई.जी., 04 नग जूनि. एम.आई.जी., 55 नग एल.आई.जी. एवं 38 नग ई.डब्ल्यू.एस. भवनों तथा 7.00 एकड भूमि का विकास कार्य की राशि **रू. 3432.25 लाख** (रूपये तीन हजार चार सौं बत्तीस लाख पच्चीस हजार) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया तथा आगामी सभी प्रकार की कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

एजेण्डा—09 संकल्प कं. 2225/09/87/09/2026.

विषयः— अधिवक्ता SHRI AISHWARYA KUMAR DUBEY, HIGH COURT OF CHHATTISGARH को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के मण्डल अधिवक्ता पैनल में सम्मिलित करने बाबत्।

संचालक मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल विनियम 1998 की परिशिष्ट—1(5) अन्य शक्तियों के तहत अधिवक्ता, SHRI AISHWARYA KUMAR DUBEY, LAW OFFICES OF AISHWARYA KUMAR DUBEY, 207 RAMA PORT, VYAPAR VIHAR ROAD BILASPUR को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर, राज्य उपभोक्ता फोरम, जिला न्यायालय बिलासपुर एवं जी.एस.टी. हेतु मण्डल पेनल में मण्डल अधिवक्ता के रूप में नियुक्त के कार्योत्तर स्वीकृति प्रस्ताव का अनुमोदन करता है, तथा अन्य सभी कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

एजेण्डा—10 संकल्प कं. 2226/10/87/09/2026.

विषयः— छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के वर्ष 2025—2026 का पुनरीक्षित बजट (Revised Budget) एवं वर्ष 2026—27 का बजट अनुमान (Budget Estimate) का अनुमोदन बाबत्।

संचालक मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अधिनियम 1972 की धारा 35 एवं 36 के तहत वार्षिक गृह निर्माण कार्यक्रम, बजट तथा स्थापना अनुसूची नियमानुसार तैयार करने वित्तीय वर्ष 2025—26 का पुनरीक्षित बजट (Revised Budget) तथा वित्तीय वर्ष 2026—27 का प्रावधानिक बजट अनुमान (Budget Estimate) स्वीकृत करते हुए अन्य आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2025—26 हेतु पुनरीक्षित बजट		वित्तीय वर्ष 2026—27 हेतु प्रस्तावित बजट अनुमान	
प्राप्तियां	व्यय	प्राप्तियां	व्यय
158000.00	158000.00	170200.00	170200.00

एजेण्डा–11 संकल्प कं. 2227 / 11 / 87 / 09 / 2026.

विषयः– छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के अंतर्गत APPOINTMENT OF CHARTERED ACCOUNTANTS FIRMS FOR SPECIAL AUDIT OF UNIT UNDER CGHIDB ON QCBS BASIS संबंधी कार्यो हेतु सी.ए.फर्मो से निविदा आमंत्रण हेतु जारी RPF की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत्।

संचालक मण्डल द्वारा छत्तीसगढ मण्डल अधिनियम 1972 की धारा 74 के अंतर्गत मण्डल समुचित लेखा पुस्तकें तथा ऐसी अन्य पुस्तके जो कि नियमों द्वारा अपेक्षित हो, रखवायेगा तथा नियमों के अनुसार लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगा।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के अंतर्गत समस्त संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र कार्यालयों का SPECIAL AUDIT OF UNITS UNDER CGHIDB संबंधी कार्यों हेतु संलग्न RFP के तहत प्रतिष्ठित सी.ए. फर्म की नियुक्ति के लिए जारी RFP की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

एजेण्डा–12 संकल्प कं. 2228 / 12 / 87 / 09 / 2026.

विषयः– श्री अजीत सिंह पटेल अपर आयुक्त का स्वयं एवं पत्नी श्रीमती किरन पटेल का राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त चिकित्सालय से उपचार पश्चात् प्राप्त प्रतिपूर्ति देयक के भुगतान प्रस्ताव के स्वीकृति के संबंध में।

संचालक मण्डल द्वारा दीर्घ विचारोपरांत सर्व सम्मति से छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल विनियम 1998 परिशिष्ट–1. 5. अन्य शक्तियॉ अंतर्गत :–

कं.	अधिकारी / कर्मचारी का नाम पदनाम	आश्रित सदस्य का नाम / संबंध	चिकित्सालय का नाम	सिविल सर्जन से प्रतिहस्ताक्षर उपरांत भुगतान योग्य कुल राशि	शासन से मान्यता प्राप्त
1	श्री अजीत सिंह पटेल, अपर आयुक्त, प्रक्षेत्र–बिलासपुर	श्रीमती किरण पटेल, पत्नी	कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हास्पिटल मुंबई	2,86,489.00	मान्यता प्राप्त
		स्वयं	लीलावती हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर मुम्बई महाराष्ट्र	4,52,319.00	मान्यता प्राप्त
			कुल राशि रू.	7,38,808.00	

श्री अजीत सिंह पटेल, अपर आयुक्त प्रक्षेत्र–बिलासपुर के राज्य के बाहर शासन से मान्यता प्राप्त चिकित्सालय से उपचार उपरांत सिविल सर्जन से सत्यापन / प्रमाणिकरण पश्चात भुगतान योग्य कुल राशि रू. 7,38,808.00 की स्वीकृति का अनुमोदन किया गया तथा अन्य अनुशांगीक कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है ।

एजेण्डा–13 संकल्प कं. 2229 / 13 / 87 / 09 / 2026.

विषयः– छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल सेवा (भर्ती) विनियम 2011 की अनुसूची–02 के सरल कं. 14 एवं 15 में आवश्यक संशोधन किये जाने के संबंध मे।

संचालक मंडल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में दायर याचिका WPS No. 8189 / 2019 में पारित आदेश दिनांक 07.08.2024 एवं छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पत्र दिनांक 14.08.2026 के परिपालन में मण्डल सेवा (भर्ती) विनियम 2011 के अनुसूची–दो के सरल कमांक 14 एवं 15 की टिप्पणी 07 को विलोपित कर शासन को प्रेषित किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा समस्त अनुषांगिक कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है ।

एजेण्डा–14 संकल्प कं. 2230 / 14 / 87 / 09 / 2026.

विषयः– ग्राम नकटी के प्रभावित परिवारों को प्रधानमंत्री सह मुख्यमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत सेक्टर–30 स्थित 65 ई.डब्ल्यू.एस. भवनों के स्थायी आबंटन एवं शपथ पत्र विस्थापन हेतु स्थायी आबंटन की कार्यवाही के अनुमोदन एवं पुष्टि करनें बाबत्।

संचालक मण्डल द्वारा दीर्घ विचारोपरांत ग्राम–नकटी के प्रभावित परिवारों को प्रधानमंत्री सह मुख्यमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत सेक्टर–30 नवा रायपुर स्थित 65 ई.डब्ल्यू.एस. प्रकोष्ठ भवनों के स्थायी आबंटन हेतु विषेष प्रकरण मानते हुए स्थायी आबंटन की कार्यवाही का अनुमोदन एवं पुष्टि करते हुए तथा उक्त भवनों के मूल्य को ग्राम–नकटी में आबंटन हेतु आवेदित भूमि पर प्रस्तावित योजना में विक्रय हेतु उपलब्ध संपत्तियों के विक्रय मूल्य में भारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तथा अन्य समस्त अनुषांगिक कार्यवाही हेतु आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

एजेण्डा–15 संकल्प कं. 2231 / 15 / 87 / 09 / 2026.

विषयः–छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की समस्त योजनाओं में निर्मित / निर्माणाधीन आबंटित संपत्तियों / विशेष आवासीय योजनाओं के विरूद्व हितग्राहियों द्वारा संपूर्ण बकाया राशि एकमुश्त जमा करने पर विलंबित अवधि की ब्याज राशि में छूट प्रदान किये जाने बाबत्।

संचालक मण्डल द्वारा दीर्घ विचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए मण्डल के आदेश क्रमांक 21 दिनांक 21.08.2026 के माध्यम से समस्त योजनाओं में निर्मित / निर्माणाधीन आबंटित संपत्तियों / विशेष आवासीय योजना की (वन टाईम सेटलमेंट–1 एवं 2 (OTS-1&2) योजना में आबंटित संपत्तियों के अतिरिक्त) के विरुद्ध आबंटियों द्वारा संपूर्ण मूल बकाया राशि एकमुश्त् जमा करने पर मण्डल नियमानुसार भारित विलंबित अवधि के ब्याज राशि में 50 प्रतिशत् छूट दिनांक 30.11.2026 तक प्रदान की गई है, की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए अन्य समस्त अनुषांगिक कार्यवाही हेतु आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

एजेण्डा—16 संकल्प कं. 2232/16/87/09/2026.

विषयः—मण्डल की मौजूदा बहुमंजिला आवासीय एवं वाणिज्यिक भवनों का फायर सेफ्टी ऑडिट करने हेतु फायर सेफ्टी आडिटरों/फर्मो के Empanelement के संबध में।

संचालक मंडल मण्डल द्वारा विस्तृत विचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की बहुमंजिला आवासीय एवं वाणिज्यिक भवनों का फायर सेफ्टी ऑडिट करने हेतु फायर सेफ्टी ऑडिटरों/फर्मों के Empanelment के लिए प्रस्तुत Expression of Interest(EOI), संलग्न प्रारूपों एवं मानक अनुबंध का कार्योत्तर स्वीकृति एवं अनुमोदन किया जाता है। तकनीकी एवं वित्तीय नियम व शर्तों के अंतिम निर्धारण, आवश्यक संशोधन तथा अन्य अनुषांगिक कार्यवाही हेतु आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

एजेण्डा—17 संकल्प कं. 2233/17/87/09/2026.

विषयः—छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के आबंटित संपत्तियों के बकाया जलप्रदाय शुल्क (Water Charge) एकमुश्त जमा करने पर विलंबित अवधि के सरचार्ज में छूट देने के संबंध में।

संचालक मण्डल द्वारा दीर्घ विचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए मण्डल के आदेश क्रमांक 20 दिनांक 21.08.2026 के माध्यम से आंबटित संपत्तियों के बकाया जलकर प्रदाय शुल्क की संपूर्ण राशि एकमुश्त् जमा करने पर **"भारित विलंब अवधि की सरचार्ज राशि में 50 प्रतिशत छूट"** की समयावधि में दिनांक 30.11.2026 तक प्रदान की गई है की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए अन्य समस्त अनुषांगिक कार्यवाही हेतु आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

एजेण्डा—18 संकल्प कं. 2234/18/87/09/2026.

विषयः—छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा विकसित कॉलोनियों में शैक्षणिक प्रयोजन हेतु आरक्षित भू—खण्डों के "आबंटन निर्देश 2026" में आंशिक संशोधन करने के संबंध में।

संचालक मण्डल द्वारा दीर्घ विचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए मण्डल के द्वारा आदेश क्र. 16 दिनांक 04.06.2026 के माध्यम से मण्डल कॉलोनियों में शैक्षणिक प्रयोजन हेतु आरक्षित भूखण्ड के विक्रय/आबंटन हेतु जारी "आबंटन निर्देश 2026"के बिन्दु क्र. 06 —विकसित भूमि का प्रीमियम में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार अतिरिक्त बिन्दु का समावेश करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

क्र.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	भूखण्ड की दर
1	0 से 500 वर्गमीटर	प्रचलित दर का 50.00%
2	501 से 1000 वर्गमीटर	प्रचलित दर का 25.00%
3	1001 से 5000 वर्गमीटर	प्रचलित दर का 12.50%
4	5001 से 20000 वर्गमीटर	प्रचलित दर का 06.25%
5	20000 वर्गमीटर से अधिक	प्रचलित दर — यथावत(HIG, MIG, LIG, EWS)

एवं अन्य समस्त अनुशांगिक कार्यवाही हेतु आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

एजेण्डा–19 संकल्प कं. 2235/19/87/09/2026.

विषयः– सामान्य आवास योजनांतर्गत सेजबहार फेस–02 रायपुर में प्रस्तावित भवन जुनि.एम.आई.जी. टाईप–II भवन कमांक 333 एवं 328 कय करने हेतु ऑनलाईन आवेदन में त्रुटिवश एक शून्य बढ़ जाने (लगभग 10 गुणा) ऑफर दर भरे जाने बाबत्।

संचालक मण्डल द्वारा दीर्घ विचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए, संबंधित आवेदकों को पंजीयन/धरोहर राशि राजसात करने के स्थान पर विशेष प्रकरण मानते हुए प्राप्त ऑफर को निरस्त कर पंजीयन राशि वापस किये जान एवं उक्त भवन को पुनः ऑफर के माध्यम से विक्रय की कार्यवाही करने के प्रास्ताव का अनुमोदन किया गया तथा अन्य समस्त अनुषांगिक कार्यवाही हेतु आयुक्त, छत्तीसगढ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

एजेण्डा–20 संकल्प कं. 2236/20/87/09/2026.

विषयः–छत्तीसगढ़ राज्य में मण्डल के स्वामित्व वाली भूमि पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना, संचालन एवं रख–रखाव हेतु लायसेंस फीस मॉडल के अंतर्गत एजेंसी नियुक्त करने के संबंध में।

संचालक मण्डल द्वारा गहन विचार–विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में मण्डल के स्वामित्व वाली चिन्हांकित भूमियों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की डिजाइन, वित्तपोषण, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग, संचालन एवं रख–रखाव हेतु लायसेंस फीस मॉडल के अंतर्गत एजेंसी नियुक्त करने हेतु प्रस्तुत निविदा प्रपत्र एवं लायसेंस अनुबंध प्रारूप अनुमोदन किया जाता है तथा आगामी सभी प्रकार के तकनीकी एवं वाणिज्यिक नियम व शर्ते के निर्धारण, निविदा प्रकिया के संपादन तथा अन्य अनुषांगिक कार्यवाही हेतु आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

एजेण्डा–21 संकल्प कं. 2237/21/87/09/2026.

विषयः–प्रधानमंत्री सह मुख्यमंत्री आवास योजनांतर्गत आबंटित संपत्तियों पर 10 वर्ष की बाध्यता की नियम में संशोधन बाबात्।

संचालक मण्डल द्वारा दीर्घ विचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय पारित किया गया कि :–

1. यदि आबंटन निर्माण अविधि में हो :– आबंटन आदेश में उल्लेखित प्रस्तावित पूर्णता तिथि (Committed Project Completion Date) अथवा हितग्राही द्वारा भवन के संपूर्ण राशि जमा होने कि तिथि, इनमें से जो पहले हो से 10 वर्ष की अवधि की गणना किए जाने हेतु प्रस्तावित है। (यदि किसी परियोजना में विभाग की ओर से विलंब होता है, तो उसका अतिरिक्त समय–प्रतिबंध भार हितग्राही पर लागू ना हो)।
2. यदि आबंटन निर्माण पूर्णता पश्चात् हो :– आधिपत्य तिथि से 10 वर्ष तक विक्रय हेतु रोक यथावत रहेगा।

मण्डल द्वारा प्रधानमंत्री सह मुख्यमंत्री आवास योजनांतर्गत आबंटित संपत्तियों पर 10 वर्ष की बाध्यता की नियम में संशोधन करने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने एवं अन्य समस्त अनुशांगिक कार्यवाही हेतु आयुक्त, छत्तीसगढ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

एजेण्डा–22 संकल्प कं. 2238/22/87/09/2026.

विषयः–मण्डल द्वारा आबंटित आवासीय/व्यवसायिक भवनों/भूखण्डों का मण्डल से बिना विक्रय अनुमति के विक्रय करने पर भारित हस्तांतरण/नामांतरण शुल्क के निर्धारण के संबंध में।

संचालक मण्डल द्वारा दीर्घ विचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा आवासीय भवन/भूखण्ड एवं व्यावसायिक भवन/भूखण्ड के बिना विक्रय अनुमति के विक्रय किये जाने पर हस्तांतरण/नामांतरण भारित किये जाने वाले हस्तांतरण/नामांतरण शुल्क हेतु निम्न बिन्दुओं का संशोधन/समावेश किया जाता हैः–

(अ). मण्डल द्वारा आवासीय भवन/भूखण्ड एवं व्यावसायिक भवन/भूखण्ड को बिना विक्रय अनुमति के विक्रय किये जाने पश्चात हस्तांतरण/नामांतरण करने पर वर्तमान विक्रय विलेख अनुसार बिक्री मूल्य अथवा जिला पंजीयक द्वारा निर्धारित गाईड लाईन राशि में, जो भी अधिक हो पर 02% (आवासीय भवन/भूखण्ड हेतु) एवं 03% (व्यावसायिक भवन/भूखण्ड हेतु) का दोगुना भारित कर हस्तांतरण/नामांतरण किया जायेगा।

(ब). लीज परिवर्तन शुल्क, परिपत्र क्र. 04 दिनांक–28.08.2009 में उल्लेखित अनुसार यथावत् रहेगा। तथा अन्य समस्त अनुशांगिक कार्यवाही हेतु आयुक्त, छत्तीसगढ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

<u>अतिरिक्त एजेण्डा</u>–23 संकल्प कं. 2239/23/87/09/2026.

विषयः–छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा कियान्वित परियोंजनाओं में संपत्तियों को विक्रय किये जाने के संबंध में।

संचालक मण्डल द्वारा दीर्घ विचारोपरांत सर्वसम्मति से मण्डल द्वारा कियान्वित निर्माणाधीन परियोजनाओं अंतर्गत विक्रय हेतु उपलब्ध विभिन्न श्रेणी की आवासीय/व्यवसायिक संपत्तियों, जिनका 03 बार विज्ञापन किये जाने तथा न्यूनतम 06 माह की अवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अविक्रित रहती है, ऐसे संपत्तियों को शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्थाओं द्वारा एक से अधिक संपत्तियॉ क्रय करने का (Bulk Purchase) प्रस्ताव दिया जाता है, तो शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्थाओं के नाम पर एक से अधिक भवनों को मांग अनुसार विक्रय किया जायेगा। पूर्व में जारी मण्डल के आदेश क्रमांक 23 दिनांक 08.09.2026 के माध्यम से शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी संस्थाओं को विक्रय किये जाने के संबंध में आदेश जारी किये गये थे, में निजी शब्द को विलोपित करते हुए केवल शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं के मांग अनुसार विक्रय किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए अन्य समस्त अनुषांगिक कार्यवाही हेतु आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

अतिरिक्त एजेण्डा—24 संकल्प कं. 2240/24/87/09/2026.

विषयः—छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत आवासीय सम्पत्तियों भूखण्ड/भवनों के व्यावासायिक उपयोग किए जाने हेतु निर्धारित अर्थदण्ड में वृद्धि किए जाने के संबंध में।

संचालयक मण्डल द्वारा दीर्घ विचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय पारित किया गया कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की विभिन्न योजनाओं में आवासीय भूखण्ड/भवनों का व्यावसायिक प्रयोजन में उपयोग किए जाने पर ऐसे भूखण्ड/भवन जिनका फ्री—होल्ड किया जा चुका है अथवा किया जाना है, हस्तांरित/अहस्तांतरित सभी प्रकार की संपत्तियों पर जिनके द्वारा पटटे् की शर्तो का उल्लंघन किया गया है मण्डल द्वारा निम्नानुसार अर्थदण्ड भारित किये जाने :—

क्र.	विवरण	वर्तमान दर	पुनरीक्षित दर
1	500 वर्गफीट तक	10,000/—	1,00,000/—
2	501 वर्गफीट से 1000 वर्गफीट तक	25,000/—	2,50,000/—
3	1001 वर्गफीट से 1500 वर्गफीट तक	50,000/—	6,00,000/—
4	1501 वर्गफीट से 2000 वर्गफीट तक	1,00,000/—	10,00,000/—
5	2001 वर्गफीट से 4000 वर्गफीट तक	2,00,000/—	20,00,000/—
6	4001 वर्गफीट से अधिक	2,00,000/—	35,00,000/—

एवं अन्य समस्त अनुषांगिक कार्यवाही हेतु आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

अतिरिक्त एजेण्डा—25 संकल्प कं. 2241/25/87/09/2026.

विषयः—भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर में तैनात छत्तीसगढ़ पुलिस के सुरक्षा कर्मियों हेतु उपलब्ध रिक्त आवासीय भवनों को किराए पर आबंटन किए जाने के संबंध में।

संचालक मण्डल द्वारा दीर्घ विचारोपंरात सर्वसम्मति से रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर में तैनात छत्तीसगढ़ पुलिस के सुरक्षा कर्मियों हेतु नवा रायपुर अटल नगर सेक्टर—34 में उपलब्ध रिक्त आवासीय भवनों में से 60 नग एल.आई.जी. भवनों का नियमानुसार किराया निर्धारण किया जाकर मासिक किराये पर आबंटित किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा अन्य समस्त अनुषांगिक कार्यवाही हेतु आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

अतिरिक्त एजेण्डा–26 संकल्प कं. 2242/26/87/09/2026.

विषयः– माननीय उच्च न्यायालय में दायर WPS No 8189 सुश्री प्राची झा विरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं 11 अन्य में निर्णय दिनांक 07.08.2024 के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा दिनांक 14.08.2026 को दिये गये परामर्श के संबंध में।

संचालक मण्डल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 07.08.2024 के आलोक में शासन द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.06.2018 जिसमें तीन विभिन्न पदों/संवर्ग में अर्हता सेवा में दी गई छूट उपरांत की गई पदोन्नतियों पर प्रभाव एवं आगामी पदोन्नति की कार्यवाही के संबंध में पुनः शासन से स्पष्ट परामर्श प्राप्त किये जाने के विषय पर चर्चा हुई। प्रस्ताव पारित नहीं हो सका।

अतिरिक्त एजेण्डा–27 संकल्प कं. 2243/27/87/09/2026.

विषयः–छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अंतर्गत नवीन वृत्त/संभागीय कार्यालय का गठन/पुनर्गठन के संबंध में।

संचालक मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल विनियम 1998 के परिशिष्ट–1 की धारा–5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों अनुसार मण्डल में अपर आयुक्त प्रक्षेत्र–बिलासपुर अंतर्गत वृत्त एवं संभागीय कार्यालयों के बेहतर नियंत्रण के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अंतर्गत वृत्त बिलासपुर को पुनर्गठित करते हुए नवीन वृत्त कार्यालय रायगढ़ का गठन एवं संभाग/संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र–कोरबा एवं सक्ती को पुर्नगठित किये जाने का मण्डल अनुमोदन करता है तथा समस्त अनुषांगिक कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है –

क्रं.	अपर आयुक्त कार्यालय	वृत्त कार्यालय	मुख्यालय	अधीनस्थ संभाग/प्रक्षेत्र कार्यालय	कार्यक्षेत्र जिला
1	अपर आयुक्त प्रक्षेत्र बिलासपुर	बिलासपुर	बिलासपुर	बिलासपुर	बिलासपुर, मुंगेली
				कोरबा	कोरबा, गौरेला पेण्ड्रा मरवाही, जांजगीर–चांपा
		रायगढ़	रायगढ़	रायगढ़	रायगढ़, सारंगढ–बिलाईगढ़
				सक्ती	सक्ती

"धन्यवाद उपरांत सम्मिलन समाप्त हुआ"।

आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं
अधोसंरचना विकास मण्डल
नवा रायपुर अटल नगर

अध्यक्ष

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं
अधोसंरचना विकास मण्डल
नवा रायपुर अटल नगर

पृ.क्र. 948 /आ.आ./मण्डल/एफ–2005/2026 नवा रायपुर, दिनांक.24/09/2026

1 निज सचिव, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त, वाणिज्यिक कर, आवास एवं पर्यावरण, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर जिला–रायपुर ।
2 स्टॉफ आफिसर, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर जिला–रायपुर ।
3 सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर ।
4 सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर जिला–रायपुर ।
5 आयुक्त सह–संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नवा रायपुर अटल नगर जिला–रायपुर ।
6 क्षेत्रीय प्रमुख, हाऊसिग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (हुडको) रायपुर ।
7 प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला–रायपुर ।
8 एन.आई.सी., मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर की ओर विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं
अधोसंरचना विकास मण्डल
नवा रायपुर अटल नगर